S

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

।। कार्यालय आदेश ।।

का० आ० सं०–5/श्रम स्था०–(3)–11/2021 ..../ पटना, दिनांक–

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (सरकार पक्ष), बिहार, पटना में संविदा/आउट सोर्सिंग (बेल्ट्रॉन से सेवा प्राप्त) के माध्यम से कार्यरत महिला कर्मियों को प्रत्येक माह में 02 (दो) दिनों का विशेष अवकाश अन्य नियमित महिला कर्मियों की भांति दिये जाने का निर्णय लिया गया है। सभी कार्यरत महिला कर्मियों को नियमित महिला कर्मियों की भांति प्रत्येक माह में 02 (दो) लगातार दिनों के लिए विशेष अवकाश एक ही बार देय होगा।

2. यह विशेष अवकाश सभी संविदा/आउट सोर्सिंग (बेल्ट्रॉन से सेवा प्राप्त) के माध्यम से कार्यरत महिला कर्मियों को पंचांग वर्ष में अनुमान्य आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त देय होगा।

3. विशेष अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार उन पदाधिकारियों को होगा जिन्हें वर्तमान नियम के अनुसार आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का शक्ति प्रदत्त है।

4. यह अवकाश प्रत्येक माह में दो लगातार दिनों के लिए एक ही बार अनुमान्य होगा और इसके साथ आकस्मिक अवकाश एवं प्रतिबंधित अवकाश देय नहीं होगा।

5. विशेष अवकाश के उपभोग हेतु आवेदन/सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा।

6. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

7. इसमें सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(अशोक राम)

सरकार के उप सचिव

संख्या–5/श्रम स्था०–(3)–11/2021 ......562......../ पटना–01, दिनांक– 27/2/2026

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, बिहार, पटना/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना/कार्यकारी निदेशक, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना/सभी विशेष सचिव/सभी संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/संयुक्त निदेशक, दशरथ मांझी संस्थान, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/लेखा शाखा/सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं सभी डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (सरकार पक्ष)/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27.2.26

सरकार के उप सचिव

Draft 2-Sec-05- 915

S

पत्रांक–5/श्रम स्था०–5/श्रम स्था०–(3)–11/2021 ..../श्र०सं०

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

शुद्धि–पत्र

विभागीय कार्यालय आदेश सं०–562, दिनांक–27.02.2026 के कंडिका संख्या–01 में वर्णित "श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (सरकार पक्ष), बिहार, पटना" के स्थान पर **"श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना"** पढ़ा जाय।

2– शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

ह०/–

(अशोक राम)

सरकार के उप सचिव

संख्या–5/श्रम स्था०–(3)–11/2021 ....669......./ पटना–01, दिनांक–16/3/26

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, बिहार, पटना/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना/कार्यकारी निदेशक, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना/सभी विशेष सचिव/सभी संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/संयुक्त निदेशक, दशरथ मांझी संस्थान, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/लेखा शाखा/सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं सभी डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (सरकार पक्ष)/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12.3.26

सरकार के उप सचिव

Draft 2-Sec-05- 933